

मुकदमों का विवरण

गुजरात राज्य बनाम.

दिलीप सिंह किशोर सिंह राव (2023 की आपराधिक अपील संख्या 2504) 09 अक्टूबर, 2023

[एस. रवींद्र भाट और अरविंद कुमार, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या उच्च न्यायालय को अभियुक्त के नेतृत्व में आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन को अनुमति देने में न्यायसंगत ठहराया गया था; और इस तरह कि क्या मंजूरी देने वाले प्राधिकरण का आदेश दरकिनार करने के लिए उत्तरदायी है और इसके परिणामस्वरूप, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के नेतृत्व में आरोप पत्र को रद्द किया जा सकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता, **1973-एसएस। 397, 227, 401** - निर्वहन के लिए आवेदन-विचार किए जाने वाले सिद्धांत:

आयोजित किया गया: अदालत को इस धारणा पर आगे बढ़ना चाहिए कि अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड में लाई गई सामग्री सही है और यह निर्धारित करने के लिए उक्त सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या तथ्य कथित अपराध के लिए आवश्यक तत्वों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं-यह निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमा चलाने के लिए कोई मामला बनाया गया है और जब आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन किया जाता है तो आरोपी के बचाव की जांच करके मामले के पक्ष और विपक्ष पर ध्यान देना आवश्यक नहीं होगा-उस स्तर पर, निचली अदालत के न्यायाधीश को केवल अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य की जांच करनी होती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आरोप पत्र सामग्री के आधार पर आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए आधार पर्याप्त हैं या नहीं-जांच एजेंसी द्वारा दर्ज या एकत्र किए गए साक्ष्य की प्रकृति या उन दस्तावेजों को जिसमें प्रथम दृष्टया प्रस्तुत किया जाता है।

847

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

अभियुक्त को जाँच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत सामग्री के बारे में बताया जाना है। [पैरा 10,7]

दंड प्रक्रिया संहिता, **1973 -धारा. 227**-आरोप तय करने के चरण में किसी भी सामग्री या दस्तावेज को दर्ज करने का अभियुक्त का अधिकार:

आयोजित किया गया: आरोप तय करने और संज्ञान लेने के समय अभियुक्त को कोई सामग्री पेश करने का कोई अधिकार नहीं है और अदालत से इसकी जांच करने के लिए कहा जाता है-संहिता में कोई भी प्रावधान अभियुक्त को आरोप तय करने के चरण में किसी भी सामग्री या दस्तावेज को दर्ज

करने का कोई अधिकार नहीं देता है-निचली अदालत को यह निर्धारित करने के लिए मामले के तथ्यों पर अपना न्यायिक दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा केवल आरोप पत्र सामग्री के आधार पर मुकदमा चलाया गया है-यदि अभियुक्त आरोप तैयार करने के चरण में आरोप पत्र सामग्री से प्रदर्शन करने में सक्षम है जो मामले की स्थिरता को काफी प्रभावित कर सकता है, तो यह सुझाव देना अनुचित है कि उस स्तर पर अदालत द्वारा ऐसी सामग्री पर विचार नहीं किया जाना चाहिए या उसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए-मुख्य रूप से।²²⁷ यह अदालत को यह निर्धारित करने में सहायता करना है कि क्या मुकदमा चलाने के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है।[पैरा 8,9]

दंड प्रक्रिया संहिता, **1973 -s.397-**के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति और अधिकार क्षेत्र-प्रयोग:

आयोजित किया गया:न्यायालय के पास किसी मामले में की गई किसी भी कार्यवाही या आदेश की वैधता और नियमितता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए एक निचली अदालत के रिकॉर्ड की मांग और जांच करने की शक्ति निहित है-उद्देश्य एक पेटेंट दोष या अधिकार क्षेत्र या कानून की त्रुटि या ऐसी कार्यवाही में आई विकृति को ठीक करना है।[पैरा 13]

दंड प्रक्रिया संहिता, **1973-एसएस।397, 227, 401 -** आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन-अभियुक्त द्वारा इस आधार पर दायर किया जाना कि जाँच अधिकारी सहायक दस्तावेजों के साथ उसके द्वारा दिए गए लिखित स्पष्टीकरण पर विचार करने में विफल रहा है, कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अभियुक्त के पास आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति है और आरोप पत्र सामग्री उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए किसी भी परिस्थिति या साक्ष्य का खुलासा नहीं करती है-हालाँकि, निचली अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया, उच्च न्यायालय ने आवेदन को स्वीकार कर लिया।**397/401 -** के साथ हस्तक्षेप:

गुजरात राज्य बनाम दिलीप सिंह किशन सिंह राव 850

849

आयोजित किया गया:उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा पारित सुविचारित आदेश में हस्तक्षेप करने में गलती की-पुनरीक्षण अदालत एक अपीलीय अदालत के रूप में नहीं बैठ सकती है और असंगति को दूर करके साक्ष्य की सराहना करना शुरू कर सकती है जो कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है-उच्च न्यायालयों को इस तथ्य का संज्ञान लेना चाहिए कि निचली अदालत आरोपमुक्त करने के लिए एक आवेदन पर विचार कर रही थी-आरोप पत्र को जांच प्राधिकरण के समक्ष आरोपी के नेतृत्व में लिखित प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद दायर किया गया है जिसमें आरोपी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य शामिल थे-उच्च न्यायालय ने बचाव पक्ष के पक्ष और विपक्ष की जांच करने के लिए आगे बढ़कर बचाव पक्ष के साक्ष्य और निष्कर्ष की संभावनाओं का वजन किया-निचली अदालत के न्यायाधीश ने देखा कि आरोपी द्वारा दुकान की खरीद से संबंधित स्पष्टीकरण दिए गए थे।[पैरा 15-18]

शहरों और
अन्य संदर्भों
की सूची

तमिलनाडु राज्य बनाम एन. सुरेश राजन और अन्य (2014) 11 एससीसी 709:[2014] 1 एस. सी. आर. 135; महाराष्ट्र राज्य बनाम सोमनाथ थापा (1996) 4

एससीसी 659:[1996] 1 पूरक।एस. सी. आर. 189; मध्य प्रदेश राज्य बनाम मोहन लाल सोनी (2000)

6 एससीसी 338; अमित कपूर बनाम रमेश चंद्र (2012) 9 एससीसी 460:[2012]

7 एस. सी. आर. 988-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील संख्या 2504।

2016 के सी. आर. एल. आर. ए. सं. 387 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 11.01.2018 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

सुश्री स्वाति घिल्डियाल, सुश्री देवयानी भट्ट, सुश्री नेहा सिंह, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

शामिक शिरीषभाई संजनवाला, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

न्यायाधीश अरविंद कुमार, जे।

1. प्रत्यर्थी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (इसके बाद इसमें 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत शुरू की गई कार्यवाहियों पर उसके द्वारा इस आधार पर आरोपमुक्त करने के लिए एक आवेदन दायर करके सवाल उठाया गया कि जांच अधिकारी (इसके बाद 'आई. ओ.' के रूप में संदर्भित) सहायक दस्तावेजों के साथ उसके द्वारा दिए गए लिखित स्पष्टीकरण पर विचार करने में विफल रहा और मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष भी उसी पर विचार किए बिना था जो दिमाग का उपयोग न करने को दर्शाता है और इस प्रकार मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा यह

निष्कर्ष निकाला गया कि प्रतिवादी आरोपी के पास आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति है, गलत है और आरोप पत्र सामग्री इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए किसी भी परिस्थिति या सबूत को प्रकट नहीं करती है कि आरोपी के पास आय का असमान स्रोत था। उक्त आवेदन को निचली अदालत द्वारा दिनांक 13.04.2016 के आदेश द्वारा खारिज कर दिए जाने के बाद, प्रतिवादी ने 2016 का आपराधिक संशोधन आवेदन No.387 दायर करके Cr.P.C की धारा 401 के साथ पठित धारा 397 के तहत उच्च न्यायालय का रुख किया और इसे दिनांकित 11.01.2018 के विवादित आदेश द्वारा अनुमति दी गई है, राज्य ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

2. एकमात्र सवाल जो हमारे विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या मंजूरी देने वाले प्राधिकरण के दिनांक 05.03.2015 के आदेश को दरकिनार किया जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, आनंद पुलिस स्टेशन द्वारा 17.06.2015 पर दायर आरोप पत्र को रद्द किया जा सकता है? 3. प्रत्यर्थी के खिलाफ दायर आरोप पत्र में अभियोजन पक्ष का मामला इस आशय का है कि 2005 से 2011 की अवधि के दौरान प्रत्यर्थी ने बोरसद नगर पुलिस स्टेशन के उप-निरीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और भ्रष्ट प्रथाओं के आधार पर अपने और अपनी पत्नी के नाम पर 319/- रुपये की संपत्ति अर्जित की थी जो उसकी आय के ज्ञात स्रोत से परे थी और यह उसकी आय के ज्ञात स्रोत के 40 प्रतिशत से अधिक है।

गुजरात राज्य बनाम दिलीप सिंह किशोर सिंह राव [अरविंद कुमार, जे.] 852

851

4. आरोपमुक्त करने के लिए एक आवेदन (अनुलग्नक पी-29) आई. डी. 2 की धारा 228 के साथ पठित धारा 227 के तहत दायर किया गया। अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क देते हुए कि जांच के दौरान, आई. ओ. दिनांकित आई. डी. 1 पर विचार करने में विफल रहा और उसके द्वारा ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने के लिए प्राप्त अनुमति और उसके निवेश के हर अवसर पर विभाग को दी गई चल और अचल संपत्तियों की खरीद के विवरण पर भी विचार करने में विफल रहा, और फिर भी आई. ओ. उचित परिप्रेक्ष्य में इस पर विचार करने में विफल रहा। यह भी तर्क दिया गया कि संपत्ति की खरीद के लिए विभाग द्वारा दी गई मंजूरी को भी आई. ओ. द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया है। यह आगे तर्क दिया गया कि आय से अधिक संपत्ति की गणना में त्रुटि भले ही जांच एजेंसी के ध्यान में लाई गई हो, लेकिन उन गवाहों के बयान पर भी विचार नहीं किया गया था जिन्होंने प्रतिवादी को राशि उधार दी थी। यह भी आग्रह किया गया कि मंजूरी देने वाला प्राधिकरण आय के विभिन्न स्रोतों से संपत्तियों की खरीद के लिए प्रस्तुत दस्तावेजी प्रमाण पर विचार करने में विफल रहा है और जांच एजेंसी उस राशि को ध्यान में रखने में विफल रही है जो दोस्तों और परिवार के सदस्यों से ऋण के तहत प्राप्त की गई थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा विधिवत समर्थित थी। इसलिए, यह तर्क देते हुए कि आरोप पत्र सामग्री कथित अपराध का खुलासा नहीं करती है, प्रतिवादी ने आवेदन में आरोपमुक्त किए जाने का अनुरोध किया। 5. विचारण न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा निर्णयों की सूची में प्रतिपादित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए और नीचे दिए गए तथ्यों के लिए निर्धारित अनुपात को लागू करते हुए:

“(4) XXXXX

इस प्रकार, पूर्व में बताए गए तथ्य किए गए सिद्धांतों और मामले के रिकॉर्ड से, निम्नलिखित पहलू रिकॉर्ड से उभरते हैं।

(क) क्या अभियुक्त ने अपने भाई, माता और पिता से ऋण लिया है, यह एक तथ्य का प्रश्न है जिसका निर्णय मुकदमे के दौरान किया जाना है; (ख) मित्रों से ऋण के रूप में 1 लाख रुपये का तथ्य भी एक तथ्य का प्रश्न है जिसका निर्णय मुकदमे के दौरान किया जाना है।

(ग) अन्य दो मित्र, इलियासभाई और नीतेशभाई, जिन्होंने अभियुक्त को ऋण के रूप में राशि दी है, वे भी तथ्य का प्रश्न है जिसका निर्णय मुकदमे के दौरान किया जाना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

(घ) गुजरात सिविल सेवा नियमों के तहत विभाग को संपत्ति की खरीद के संबंध में सूचित करने वाले आरोपी का तथ्य उसे अपनी आय के संबंध में क्लिन चिट नहीं देता है। इसे केवल सेवा के नियमों और विनियमों का पालन करना कहा जा सकता है, हालांकि, यह उन्हें आय के ज्ञात स्रोत के अनुपात से भिन्न विचार के मूल्य के संबंध में प्रामाणिकता की मुहर नहीं देता है।

(ङ) अभियुक्त द्वारा आय से अधिक आय के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण को भी अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दायर करते समय और मंजूरी देते समय भी ध्यान में रखा जाता है।

(च) आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है और इसलिए, यह भी एक तथ्य का सवाल है कि सुनवाई के समय निर्णय लिया जाना चाहिए।

(छ) आरोप पत्र के माध्यम से रिकॉर्ड पर रखे गए अधिकांश रिकॉर्ड प्रथम दृष्टया दर्शाते हैं कि यदि उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाता है तो आय के ज्ञात स्रोत के साथ असमान आय के सभी अवयवों का खुलासा होता है।

(ज) व्यापक सिद्धांतों पर विचार करते हुए भी आरोपी जो भी बचाव कर रहा है, भले ही उन पर विचार किया जाए, यह नहीं कहा जा सकता है कि कथित अपराध का गठन करने वाले तत्व आकर्षित नहीं हैं।

((i) ऐसा प्रतीत होता है कि अभिलेख में ऐसी कोई आधार दुर्बलता नहीं है जो प्रथम दृष्टया अभियोजन के मामले को निष्प्रभावी बना दे। भले ही दो विचार संभव हों, वर्तमान मामले के कागजात स्पष्ट रूप से आरोपी के खिलाफ उसके भाई, पिता, माँ और अन्य दोस्तों से ली गई ऋण राशि के संबंध में और उसके बेटे की आय के संबंध में भी गंभीर संदेह पैदा करते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था और उसकी कृषि आय और आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं।

(5) अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों से ऊपर दर्ज तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त को आरोपमुक्त किया जा सकता है क्योंकि इस न्यायालय को मामले के पक्ष और विपक्ष की बारीकी से जांच करने और साक्ष्य का वजन करने की आवश्यकता नहीं है।

गुजरात राज्य बनाम दिलीप सिंह किशोर सिंह राव [अरविंद कुमार, जे.] 854

मानो मुकदमा चलाया जा रहा हो। अन्यथा आय के ज्ञात स्रोत के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के संबंध में आरोप एक ऐसा विषय है जिसका पूर्ण परीक्षण किए बिना शुरुआत में निर्णय नहीं लिया जा सकता है, विशेष रूप से जब यह अभियुक्त है जिसे आय के स्रोत के संबंध में जानकारी है, जबकि उसके द्वारा चल और अचल दोनों संपत्तियों की खरीद की जाती है और न्यायालय इस समय अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला देखने में सक्षम है। इन परिस्थितियों में, आवेदन सारहीन है और इसलिए निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है।”

और उपरोक्त कारणों से 13.04.2016 (अनुलग्नक पी-30) के आदेश द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया गया।

6. उपर्युक्त आदेश से व्यथित होकर प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण में भी यही बात कही। जैसा कि पहले ही ऊपर देखा गया है, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा प्रत्यर्थी-अभियुक्त द्वारा दर्ज की गई सामग्री का अवलोकन करके पुनरीक्षण आवेदन की अनुमति दी और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निचली अदालत ने आवेदन को खारिज करने और प्रत्यर्थी की याचिका को स्वीकार करने में त्रुटि की थी जो वस्तुतः बचाव के रूप में थी और प्रत्यर्थी को आरोपमुक्त कर दिया।

चर्चा और निष्कर्ष

7. यह तुच्छ कानून है कि न्यायिक दिमाग का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक है कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमे की कार्यवाही के लिए कोई मामला बनाया गया है और जब आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन दायर किया जाता है तो आरोपी के बचाव की जांच करके मामले के पक्ष और विपक्ष में ध्यान देना आवश्यक नहीं होगा। उस स्तर पर, विचारण न्यायाधीश को केवल अभियोजन पक्ष द्वारा रखे गए साक्ष्य की जांच करनी होती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आरोप पत्र सामग्री के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए आधार पर्याप्त हैं या नहीं। जाँच एजेंसी द्वारा अभिलिखित या एकत्र किए गए साक्ष्य या प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रकृति जिसमें प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि अभियुक्त के खिलाफ संदिग्ध परिस्थितियाँ हैं, ताकि आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हो और आरोप तैयार करने के उद्देश्यों के लिए ऐसी सामग्री को ध्यान में रखा जाएगा। यदि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए आवश्यक रूप से पर्याप्त आधार नहीं है, तो अभियुक्त होगा -

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

आरोपमुक्त किया जाता है, लेकिन यदि अदालत की राय है कि सामग्री पर इस तरह से विचार करने के बाद यह मानने के लिए आधार हैं कि अभियुक्त ने वह अपराध किया है जो विचारण योग्य है, तो आवश्यक रूप से आरोप तैयार किया जाना चाहिए।

8. आरोप तय करने और संज्ञान लेने के समय अभियुक्त को कोई सामग्री पेश करने और अदालत से इसकी जांच करने का आह्वान करने का कोई अधिकार नहीं है।संहिता में कोई भी प्रावधान अभियुक्त को आरोप तय करने के चरण में कोई सामग्री या दस्तावेज दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं देता है।निचली अदालत को मामले के तथ्यों पर अपने न्यायिक दिमाग को लागू करना होता है जो यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक हो सकता है कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा केवल आरोप पत्र सामग्री के आधार पर मुकदमे के लिए कोई मामला बनाया गया है।9. यदि अभियुक्त आरोप-पत्र सामग्री से आरोप-पत्र तैयार करने के चरण में प्रदर्शन करने में सक्षम है जो मामले की स्थिरता को काफी प्रभावित कर सकता है, तो यह सुझाव देना अनुचित है कि उस स्तर पर अदालत द्वारा ऐसी सामग्री पर विचार या उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।आई. डी. 1 की धारा 227 के तहत अभियुक्त को प्रस्तुत करने का मौका देने का मुख्य उद्देश्य अदालत को यह निर्धारित करने में सहायता करना है कि क्या मुकदमा चलाने के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है।संहिता में कुछ भी ऐसी सुनवाई के दायरे को केवल मौखिक सुनवाई और मौखिक तर्कों तक सीमित नहीं करता है और इसलिए, निचली अदालत आई. ओ. के समक्ष आरोपी द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर विचार कर सकती है।

10. यह कानून का तय सिद्धांत है कि आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन पर विचार करने के चरण में अदालत को इस धारणा पर आगे बढ़ना चाहिए कि अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड में लाई गई सामग्री सही है और उक्त सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या सामग्री से सामने आने वाले तथ्यों को उसके अंकित मूल्य पर लिया गया है, जो कथित अपराध के लिए आवश्यक अवयवों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं।यह

तमिलनाडु राज्य बनाम एन. सुरेश राजन और अन्य में न्यायालय (2014)

11 एस. सी. सी. 709 ने इस विषय पर निर्धारित कानून के पहले के प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए कहा है:

“29. हमने प्रतिद्वंद्वियों की दलीलों पर ध्यान दिया है और श्री रंजीत कुमार द्वारा की गई दलीलें हमारी सराहना करती हैं।यह सच है कि आरोपमुक्त करने के लिए आवेदनों पर विचार करते समय, न्यायालय अभियोजन पक्ष के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकता है या डाकघर के रूप में कार्य नहीं कर सकता है और 855 का पता लगाने के लिए साक्ष्य की छान-बीन कर सकता है।

गुजरात राज्य बनाम दिलीप सिंह किशन सिंह राव [अरविंद कुमार, जे.] 856

आरोप निराधार हैं या नहीं ताकि आरोपमुक्त करने का आदेश पारित किया जा सके।यह मामूली बात है कि आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन पर विचार करने के चरण में, अदालत को इस धारणा के साथ आगे बढ़ना होगा कि अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड में लाई गई सामग्री सही है और उक्त सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनसे

सामने आने वाले तथ्य उनके अंकित मूल्य पर कथित अपराध का गठन करने वाले सभी तत्वों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं। इस स्तर पर, सामग्री के संभावित मूल्य पर गौर किया जाना चाहिए और अदालत से मामले में गहराई से जाने और यह मानने की उम्मीद नहीं की जाती है कि सामग्री दोषसिद्धि की गारंटी नहीं देगी। हमारी राय में, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या यह मानने के लिए कोई आधार है कि अपराध किया गया है और न कि क्या आरोपी को दोषी ठहराने के लिए कोई आधार बनाया गया है। इसे अलग तरह से रखने के लिए, यदि अदालत सोचती है कि आरोपी ने अपने संभावित मूल्य पर रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर अपराध किया होगा, तो वह आरोप तय कर सकता है; हालांकि दोषसिद्धि के लिए, अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि आरोपी ने अपराध किया है। कानून इस स्तर पर लघु परीक्षण की अनुमति नहीं देता है।”

11. अभियुक्त के बचाव को उस स्तर पर नहीं देखा जाना चाहिए जब अभियुक्त आरोपमुक्त होना चाहता है। धारा 227 Cr.P.C में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "मामले का रिकॉर्ड". को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और लेखों, यदि कोई हों, के रूप में समझा जाना चाहिए। संहिता अभियुक्त को आरोप तय करने के चरण में कोई दस्तावेज पेश करने का कोई अधिकार नहीं देती है। अभियुक्त की प्रस्तुति जाँच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत सामग्री तक ही सीमित होनी चाहिए। 12. आरोप तय करने के चरण में प्राथमिक विचार एक प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व का परीक्षण है, और इस स्तर पर, रिकॉर्ड पर सामग्री के संभावित मूल्य में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह न्यायालय महाराष्ट्र राज्य बनाम में अपने पहले के फैसलों का उल्लेख करते हुए।

सोमनाथ थापा **(1996) 4 एस. सी. सी. 659** और मध्य प्रदेश राज्य बनाम मोहन

लाल सोनी (2000) 6 एस. सी. सी. 338 ने माना है कि आरोप तय करने के चरण में अदालत द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन की प्रकृति प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व का परीक्षण करने के लिए है। यह आरोप तय करने के चरण में भी आयोजित किया जाता है, अदालत को इसके अस्तित्व के लिए एक अनुमानित राय बनानी होती है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

कथित अपराध का गठन करने वाले तथ्यात्मक तत्व और यह उम्मीद नहीं की जाती है कि रिकॉर्ड पर सामग्री के संभावित मूल्य में गहराई से जाना और यह जांचना कि क्या रिकॉर्ड पर सामग्री निश्चित रूप से मुकदमे के समापन पर दोषसिद्धि का कारण बनेगी।

13. धारा 397 Cr.P.C के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति और अधिकार क्षेत्र, जो न्यायालय को एक निम्न न्यायालय के अभिलेखों को मांगने और उनकी जांच करने की शक्ति प्रदान करता है, किसी मामले में की गई किसी भी कार्यवाही या आदेश की वैधता और नियमितता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्यों के लिए है। इस प्रावधान का उद्देश्य पेटेंट दोष या अधिकार क्षेत्र या कानून की त्रुटि या ऐसी कार्यवाही में आई विकृति को ठीक करना है। इस अदालत के फैसले को संदर्भित करना उचित होगा।

अमित कपूर बनाम रमेश चंद्र (2012) 9 एस. सी. सी. 460 में जहां गुंजाइश है

धारा 397 पर विचार किया गया है और संक्षिप्त रूप से समझाया गया है: “12. संहिता की धारा 397 अदालत को किसी मामले में की गई किसी भी कार्यवाही या आदेश की वैधता और नियमितता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्यों के लिए एक निचली अदालत के रिकॉर्ड की मांग और जांच करने की शक्ति प्रदान करती है। इस प्रावधान का उद्देश्य पेटेंट दोष या अधिकार क्षेत्र या कानून की त्रुटि को ठीक करना है। एक अच्छी तरह से स्थापित त्रुटि होनी चाहिए और अदालत के लिए आदेशों की जांच करना उचित नहीं हो सकता है, जो इसके बावजूद सावधानीपूर्वक विचार करने का संकेत देता है और कानून के अनुसार प्रतीत होता है। यदि कोई इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर गौर करता है, तो यह सामने आता है कि पुनरीक्षण संबंधी अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया जा सकता है जहां चुनौती के तहत निर्णय पूरी तरह से गलत हैं, कानून के प्रावधानों का कोई अनुपालन नहीं है, दर्ज किया गया निष्कर्ष किसी भी सबूत पर आधारित नहीं है, भौतिक साक्ष्य की अनदेखी की जाती है या न्यायिक विवेक का मनमाने ढंग से या विकृत रूप से प्रयोग किया जाता है। ये संपूर्ण वर्ग नहीं हैं, बल्कि केवल सूचक हैं। प्रत्येक मामले का निर्धारण उसके गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए।

13. एक अन्य सर्वमान्य मानदंड यह है कि उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित है और इसका नियमित तरीके से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अंतर्निहित प्रतिबंधों में से एक यह है कि यह एक अंतरिम या अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। न्यायालय को यह ध्यान रखना होगा कि पुनरीक्षण संबंधी अधिकार क्षेत्र के प्रयोग से ही प्रत्यक्ष रूप से अन्याय नहीं होना चाहिए। जहाँ न्यायालय 857 पर विचार कर रहा है।

गुजरात राज्य बनाम दिलीप सिंह किशोर सिंह राव [अरविंद कुमार, जे.] 858

यह प्रश्न कि क्या आरोप ठीक से तैयार किया गया है और किसी दिए गए मामले में कानून के अनुसार, यह अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक हो सकता है जब तक कि मामला काफी हद तक वनों की श्रेणी में नहीं आता है। यहां तक कि आरोप तय करना भी सी. आर. पी. सी. के तहत कार्यवाही में एक बहुत उन्नत चरण है।

14. इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में धारा 397 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए विचार किए जाने वाले सिद्धांतों को भी निर्धारित किया है, विशेष रूप से धारा 228 के तहत बनाए गए आरोप को रद्द करने के लिए प्रार्थना के संदर्भ में।

“27. इन दो प्रावधानों यानी संहिता की धारा 397 और धारा 482 के तहत अधिकारिता के दायरे और अधिकारिता के अंतर की अंतिम रेखा पर चर्चा करने के बाद, अब हमारे लिए उन सिद्धांतों को सूचीबद्ध करना उचित होगा जिनके संदर्भ में अदालतों को ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करना चाहिए। हालाँकि, यह न केवल अलग पंथ है, बल्कि ऐसे सिद्धांतों को सटीकता के साथ बताना स्वाभाविक रूप से असंभव है। इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के सर्वोत्तम और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर, हम अधिकार क्षेत्र के उचित प्रयोग के लिए विचार किए जाने वाले कुछ सिद्धांतों को बाहर

निकालने में सक्षम हैं, विशेष रूप से, संहिता की धारा 397 या धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में या एक साथ, जैसा भी मामला हो, आरोप को रद्द करने के संबंध में।

27.1. यद्यपि संहिता की धारा 482 के तहत न्यायालय की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन जितनी अधिक शक्ति होगी, इन शक्तियों को लागू करने में उतनी ही अधिक सावधानी और सावधानी बरतनी होगी। आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति, विशेष रूप से, संहिता की धारा 228 के संदर्भ में बनाए गए आरोप का उपयोग बहुत संयम और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और वह भी दुर्लभतम मामलों में।

27.2. न्यायालय को इस परीक्षण को लागू करना चाहिए कि क्या मामले के रिकॉर्ड और उसके साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से लगाए गए अनियंत्रित आरोप प्रथम दृष्टया अपराध को स्थापित करते हैं या नहीं। यदि आरोप इतने स्पष्ट रूप से बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं कि कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है और जहां आपराधिक अपराध के मूल तत्व संतुष्ट नहीं होते हैं तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

27.3. उच्च न्यायालय को अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह विचार करने के लिए कि क्या मामला दोषसिद्धि में समाप्त होगा या आरोप तय करने या आरोप को रद्द करने के चरण में नहीं, साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता नहीं है।

27.9. अदालतों को एक और बहुत महत्वपूर्ण सावधानी बरतनी होगी कि वे यह निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड पर तथ्यों, साक्ष्यों और सामग्रियों की जांच नहीं कर सकते हैं कि क्या पर्याप्त सामग्री है जिसके आधार पर मामला दोषसिद्धि में समाप्त होगा; अदालत मुख्य रूप से उन आरोपों से संबंधित है जो समग्र रूप से लिए गए हैं कि क्या वे एक अपराध होंगे और यदि ऐसा है, तो क्या यह अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है जिससे अन्याय हो सकता है।

27.13. आरोप को रद्द करना निरंतर अभियोजन के नियम का एक अपवाद है। जहाँ अपराध व्यापक रूप से भी संतुष्ट है, वहाँ न्यायालय को उस प्रारंभिक चरण में इसे रद्द करने के बजाय अभियोजन को जारी रखने की अनुमति देने के लिए अधिक इच्छुक होना चाहिए। अदालत से अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह दस्तावेजों या अभिलेखों की स्वीकार्यता और विश्वसनीयता तय करने की दृष्टि से अभिलेखों का संचालन करे, लेकिन यह प्रथम दृष्टया बनाई गई राय है।”

15. पुनरीक्षण न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में नहीं बैठ सकता है और गवाहों के बयान में विसंगति का पता लगाकर साक्ष्य की सराहना करना शुरू नहीं कर सकता है और यह कानूनी रूप से अनुमत नहीं है। उच्च न्यायालयों को इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि निचली अदालत आरोपमुक्त करने के आवेदन पर विचार कर रही थी।

16. कानून के उपरोक्त विश्लेषण के अनुसार, जब उच्च न्यायालय के विवादित आदेश पर विचार किया जाता है, तो यह हमें प्रतिवादी-अभियुक्त द्वारा उठाए गए तर्कों को एक से अधिक कारणों से दरकिनार करने के लिए बहुत लंबे समय तक नहीं रोकेगा। सबसे पहले, अभियुक्त द्वारा जांच प्राधिकरण के समक्ष दायर लिखित प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद आरोप पत्र दायर किया गया है जिसमें प्रतिवादी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हैं। दूसरा, उन मित्रों और परिचित लोगों का बयान, जिनसे अभियुक्त ने बड़ी राशि का ऋण लिया था, जिन पर अभियुक्त ने जांच प्राधिकरण के समक्ष दायर अपनी लिखित दलीलों में अभियोजन को रोकने के लिए भरोसा किया था और किस सामग्री ने उच्च न्यायालय को अपने मूल्यांकन के सही होने पर इसे स्वीकार करने के लिए राजी किया था, गुजरात बनाम दिलीप सिंह किशोर सिंह राव का कथन कुछ भी नहीं है।

859

[अरविंद कुमार, जे।]

लेकिन इसे बचाव पक्ष के साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने और मुकदमे के शुरू होने या आयोजित होने से पहले ही इसकी सामग्री की सच्चाई की जांच करने से कम है। तीसरा, उच्च न्यायालय ने बचाव पक्ष के पक्ष और विपक्ष की जांच करने के लिए आगे बढ़कर बचाव पक्ष के साक्ष्य और उस निष्कर्ष की संभावनाओं पर विचार किया है जिस पर अंततः पहुँचा जा सकता है, संशोधन संबंधी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए आधार के रूप में जो अनुज्ञेय नहीं था। चौथा, प्रतिवादी अभियुक्त द्वारा अपनी माँ, भाई और पिता से प्राप्त किए गए कथित ऋण सभी तथ्यों के प्रश्न हैं जिनके लिए निर्णय की आवश्यकता होती है और यह केवल मुकदमे के दौरान किया जा सकता है और बड़ी राशि के उधार से संबंधित स्पष्टीकरण एक उचित संदेह पैदा करता है, जिसे जांच एजेंसी द्वारा आरोप पत्र दायर करने के लिए मजबूत सामग्री के रूप में कहा गया है और ऐसी सामग्री के आधार पर मंजूरी देने वाले प्राधिकरण ने दिनांकित मंजूरी आदेश के तहत अपनी संतुष्टि भी दर्ज की है: 05.03.2015 प्रतिवादी-अभियुक्त पर मुकदमा चलाना। इसलिए, उचित संदेह को प्राथमिक स्तर पर अभियुक्त को आरोपमुक्त करने के लिए नहीं माना जा सकता है या समझा नहीं जा सकता है।

17. मुकदमे के दौरान साबित करने की आवश्यकता होने पर याचिका या बचाव स्वयं आरोप तैयार करने के लिए पर्याप्त है। तत्काल मामले में, विद्वत विचारण न्यायाधीश ने देखा है कि प्रतिवादी द्वारा उधार लिए गए और भुगतान किए गए ऋण से सुमन सिटी कॉम्प्लेक्स की दुकान संख्या 7, प्लॉट No.19, सेक्टर-11 की खरीद के संबंध में प्रतिवादी अभियुक्त द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण चेक अवधि के बाहर था और इसलिए प्रतिवादी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण केवल एक आंख धोना है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे मुकदमे के दौरान समाप्त किया जाना चाहिए और आरोप तय करने के स्तर पर लघु परीक्षण नहीं किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मारुति वैगन-आर कार, एक्टिवा स्कूटर, घर की खरीद आदि के संबंध में प्रतिवादी अभियुक्त द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अलावा, सभी मुकदमे का विषय हैं या यह बचाव की प्रकृति में है जिसका मूल्यांकन मुकदमे के बाद करना होगा।

18. पूर्वनिर्धारित परिस्थितियों में हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा पारित सुविचारित आदेश में हस्तक्षेप करने में गंभीर त्रुटि की थी। इसलिए, 2016 के आपराधिक संशोधन आवेदन No.387 में पारित किए गए विवादित फैसले, जिसमें निचली अदालत के दिनांकित 13.04.2016 के आदेश को दरकिनार कर दिया गया है, को दरकिनार करने की आवश्यकता है और तदनुसार इसे दरकिनार कर दिया जाता है और अपील 860 है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

अनुमति दी गई। निचली अदालत इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मुकदमे को आगे बढ़ाएगी कि आरोप पत्र वर्ष 2015 में दायर किया गया है और एक वर्ष की अवधि के भीतर मुकदमे को तेजी से और अधिमानतः समाप्त करेगी।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन